

कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

कर्नाटक ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने की अनुमति दी।


- [2018](#) में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार कथि गयल है, जसलमें नषलकुरयल इच्छलमृत्यु की कलनूनी वैधतल को बरकरलर रखल गयल थल।
 - नषलकुरयल इच्छलमृत्यु में जीवन-रकषक उपचलरों को रोकनल यल बंद कर देनल शलमलल है, जसलसे वयकृतल को अपनी स्थतलल से स्वलभलवकल रूप से मरने दयल जलतल है।
- सर्वोच्च न्यलललय कल 2023 कल लदेश [अनुच्छेद 21](#) के तहत सम्मलन के सलथ मरण के अधकलर की पुषुटल करतल है और नषलकुरयल इच्छलमृत्यु के मलनदंडों को सरल बनलतल है।
- सर्वोच्च न्यलललय दशल-नरलदेश 2023:
 - **WLST कल प्रत्यलहरण: प्रलथमकल और द्वतलतीयक चकलतलसल बोरुड**, लवलगल वलल के अधलर पर जीवन-रकषक चकलतलसल (WLST) कल प्रत्यलहरण कयल जलने के अनुरोधों की समीकषल करेगे।
 - **लवलगल वलल:** लवलगल वलल (एडवलंस मेडकलल डलयरैकटवल) से रोगयलों को अपने उपचलर संबंधी इच्छलओं को दसुतलवेजुतल करने की सुवधल मललतल है, जसलसे जीवन के अंतमल नरलणयों में गरमल सुनशलचतल होतल है।
 - **अनुमोदन:** प्रकुरयल के लयल उपचलर करने वलले डॉकुर, दो मेडकलल बोरुड (प्रत्येक में तलन चकलतलसक) तथल जललल स्वलस्थय अधकलरी दवलरल नलमतल चकलतलसक से अनुमोदन की लवलश्यकतल होगी।
 - **सहमतल:** मेडकलल बोरुड के नरलणय के लयल नकलटतम रशलतेदलर की सहमतल और प्रथम शुरेणी न्यलयकल मजसलटुरेट (JMFC) से अनुमोदन की लवलश्यकतल होतल है।
 - **उन्नत चकलतलसल नरलदेश (AMD):** AMD के अनुसार यदुरोगी की कषमतल समलप्त हो जलतल है, तो स्वलस्थय देखभलल संबंधी नरलणय लेने के लयल कम-से-कम दो वयकृतयलों की नयुकृतल करनल अनवलरय है।
 - AMD को स्वस्थ मसुतषक वलले वयसुकों दवलरल नषलपलदतल कयल जल सकतल है, डजलटलल रूप में यल दसुतलवेजु पर दरुज कयल जल सकतल है, तथल स्वलस्थय रकलरुड में बनलए रखल जल सकतल है।

//

IN THE SUPREME COURT

2011: *Aruna Shanbaug v. Union of India* recognised that life-sustaining treatment could legally be withheld/withdrawn even from persons without decision-making capacity.

2018: *Common Cause v. Union of India* recognised the right to die with dignity as a fundamental right under Article 21 of the Constitution



of India, and legalised the use of advance medical directives or 'living wills'.

2023: *Common Cause v. Union of India* simplified the process for making living wills and withholding/withdrawing life-sustaining treatment by removing bureaucratic hurdles.

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने नषलकुरयल इच्छलमृत्यु के मलनदंडों को लसलन बनलल](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/karnataka-allows-right-to-die-with-dignity>

